

**न्यायालय :-श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक
मजिस्ट्रेट, अंजड़ जिला -बड़वानी (म.प्र.)**

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 63 / 2016
संस्थित दिनांक-02.02.2016

म.प्र. राज्य द्वारा-आरक्षी केन्द्र
अंजड़, जिला बड़वानी

..... अभियोगी

वि रु द्ध

दिनेश पिता गुलाबसिंह भीलाला,
उम्र 45 वर्ष, निवासी खेड़ी खुर्द थाना अंजड़,
जिला बड़वानी म.प्र.

..... अभियुक्त

राज्य द्वारा	—	श्री अकरम मंसूरी ए.डी.पी.पी.ओ. ।
अभियुक्त द्वारा	—	श्री आर.के.श्रीवास अधिवक्ता ।

--:: निर्णय ::--
(आज दिनांक 01 / 11 / 2017 को घोषित)

01. आरोपी के विरुद्ध पुलिस थाना अंजड़ के अपराध क्रमांक 13 / 16 के आधार पर दिनांक 08.01.2016 को 9:30 बजे स्थान ग्राम मस्जिद चौक अंजड़ लोकमार्ग पर वाहन ट्रैक्टर क्रमांक एम.पी. 46 ए. 2680 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण तरीके से चलाकर प्रमोद को टक्कर मारकर उसकी मृत्यु ऐसी परिस्थितियों में कारित की, जो आपराधिक मानववध की श्रेणी में नहीं आती है, के लिये भा.द.वि. की धारा- 304ए का अपराध हैं ।

02. प्रकरण स्वीकृत तथ्य नहीं है ।

03. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 08.01.16 को रात 09:30 बजे लगभग मस्जिद के पास अंजड़ तरफ से एक वाहन ट्रैक्टर क्रमांक एम. पी. 46 ए. 2680 के चालक ने अपने वाहन को तेज गति व लापरवाहीपूर्वक चालकर लाया व प्रमोद की बजाज प्लेटिना मोटरसाइकिल बीना नंबर को टक्कर मार दी जिससे प्रमोद को चोटे आई और ईलाज के दौरान मृत्यु हो गई। उक्त मर्ग की जाँच श्री सुरेन्द्र कनेश द्वारा की गई और उसके पश्चात् थाना अंजड़ में अप.क्र. 13 / 16 दर्ज कर घायल का मेडिकल परीक्षण कराया था। मृतक के शव का पंचनामा बनाकर शव परीक्षण कराया था। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध कर नक्शामौका बनाया। आरोपी से उक्त वाहन ट्रैक्टर क्रमांक एम.पी. 46 ए. 2680 के दस्तावेज और उसकी चालन अनुज्ञप्ति जप्त की तथा विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया ।

04. उक्त अनुसार आरोपी का भादवि की धारा- 304ए का अभियोग लगाये जाने पर आरोपी ने अपराध से इंकार कर विचारण चाहा, उसका अभिवाक् लिखा गया। दप्रस की धारा 313 के अंतर्गत किये गये परीक्षण में आरोपी ने स्वयं को निर्दोष होना बताया गया किन्तु बचाव में किसी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया।

05. विचारणीय प्रश्न निम्न उत्पन्न होते हैं:-

क.	विचारणीय प्रश्न
1	क्या आरोपी ने दिनांक 08.01.2016 को रात्रि 9:30 बजे स्थान मस्जिद चौराहा अंजड के पास लोकमार्ग पर टेक्टर क्रमांक एम.पी.46 ए 2680 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण तरीके से चलाकर मृतक प्रमोद को टक्कर मारकर उसकी मृत्यु ऐसी परिस्थितियों में कारित की जो आपराधिक मानववध की श्रेणी में नहीं आती है ?

-:सकारण निष्कर्ष:-

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 का निराकरण :-

06. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में कन्हैया यादव (असा.1) का कथन है कि वह आरोपी दिनेश को नहीं जानता है, वह मृतक प्रमोद को जानता है। घटना उसके कथन दिनांक से लगभग 1 वर्ष पूर्व की है। वह उसके साले विशाल के साथ मोटरसाइकिल से नवलपुरा छोड़ने जा रहा था तभी गांधी वाचनालय के पास टेक्टर टाले से दुर्घटना हुई थी, उसने घटना देखी थी कि प्रमोद को चोट लगी थी तथा उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। उसने घटना कारित करने वाले टेक्टर टाले का क्रमांक एवं उसके चालक को नहीं देखा था। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने इस तथ्य से इंकार किया है कि उसके सामने उपस्थित आरोपी टेक्टर क्रमांक एम.पी.46 ए 2680 तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर लाया और आरोपी ने मृतक प्रमोद की मोटरसाइकिल को सामने से टक्कर मार दी थी। आगे इस तथ्य से भी इंकार किया कि उसने पुलिस को कथन प्र.पी.01 का ए से ए भाग वाली बात सामने मार दी बताई थी।

07. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में विशाल यादव (असा.2), कालूराम (असा.3), धर्मेन्द्र (असा.4) ने भी घटना के समय टेक्टर की दुर्घटना में प्रमोद की मृत्यु होने से संबंध में कथन किये हैं। उक्त सभी साक्षियों को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षियों ने इस सुझाव से इंकार किया है कि टेक्टर क्रमांक एम.पी. 46 ए 2680 के चालक ने तेजी व लापरवाही से टेक्टर चलाकर प्रमोद की मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई, यहाँ तक की साक्षियों ने अपना कथन पुलिस को देने से स्पष्ट इंकार किया है। बचाव पक्ष की ओर से किये प्रतिपरीक्षण में साक्षियों ने स्वीकार किया कि पुलिस ने उसने कोई पूछताछ नहीं की और उन्होंने पुलिस को कोई कथन नहीं दिया था।

08. सुरेन्द्र कनेश (असा.6) का कथन है कि दिनांक 10.01.2016 को थाना अंजड के मृग क्रमांक 02/16 मृतक प्रमोद का जॉच के संबंध में प्राप्त होने पर उसने साक्षियों कन्हैया और विशाल के कथन लिये थे तो उन्होंने टेक्टर क्रमांक एम.पी. 46 ए 2680 के चालक द्वारा टेक्टर को तेजी एवं लापरवाही द्वारा चलाकर प्रमोद को टक्कर मारकर उसकी मृत्यु कारित करना बताया था जिसके आधार पर उसने उक्त टेक्टर चालक के विरुद्ध प्र.पी.07 को अपराध दर्ज किया था जिसके ए से ए और बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने नक्शामौका प्र.पी.08 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं, उसने विवेचना के दौरान साक्षी कन्हैया, विशाल, धर्मेन्द्र और कालू के कथन उनके कहे अनुसार लेखबंध किये थे तथा उक्त टेक्टर क्रमांक एम.पी.46 ए 2680 एवं टाली क्रमांक एम.पी. 46 ए 2710 दस्तावेजों एवं आरोपी के ड्रायविंग लायसेंस सहित जप्त किये थे, जिसका जप्ती पंचनामा प्र.पी.09 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। बचाव पक्ष की ओर से किये प्रतिपरीक्षण में इस सुझाव से इंकार किया कि जॉच के दौरान साक्षी कन्हैया और विशाल ने टेक्टर और टाली का नंबर नहीं बताया था, साक्षी ने इस बात से इंकार किया कि उसे किसी साक्षी ने कथन नहीं दिये थे। किसी साक्षी ने उसे वाहन का नंबर नहीं बताया था। साक्षी ने इस बात से इंकार किया कि उसने मृतक के परिवार से मिलकर क्लेम दिलाने के लिये उक्त वाहन चालक के विरुद्ध असत्य प्रकरण बनाया है।

09. डॉ. अमिचंद चौहान (असा.5) ने दिनांक 09.01.2016 को उसने जिला चिकित्सालय बड़वानी में आरक्षक माखन द्वारा लाये जाने पर प्रमोद पिता कालू के शव का परीक्षण कर मृत्यु सिर में चोट लगने के कारण परीक्षण से 24 घंटे के भीतर होना बताया है तथा अपना शव परीक्षण प्र.पी.07 भी प्रमाणित किया है।

10. पंडू (असा.7) का कथन है कि दिनांक 12.01.2016 को थाना अंजड के अपराध क्रमांक 13/16 में जप्त टेक्टर क्रमांक एम.पी. 46 ए 2680 का यांत्रिकी परीक्षण करने पर उक्त वाहन चालू हालत में होना पाया था, साक्षी ने उसकी जॉच रिपोर्ट प्र. पी.10 भी प्रमाणित की है।

11. चैनसिंह (असा.8) जो कि उक्त टेक्टर का स्वामी होना बताया गया है का कथन है कि उसके पास वर्ष 2016 से टेक्टर क्रमांक एम.पी. 46 ए 2680 तथा टाली क्रमांक एम.पी. 46 ए 2710 किन्तु उक्त वाहन से कोई दुर्घटना नहीं हुई है, पुलिस ने दुर्घटना की शंका में उक्त टेक्टर जप्त किया था जो उसने न्यायालय से सुपुर्दगी नामे पर प्राप्त किया था। उसे ध्यान नहीं है कि घटना के समय कौन व्यक्ति उसके टेक्टर का चालक के रूप में कार्य करता था। साक्षी ने स्पष्ट किया कि टेक्टर की देखरेख उसका पुत्र दीपक करता था। साक्षी को यह भी कथन है कि पुलिस ने उसे प्र.पी.11 का सूचना पत्र दिया था, जिसका उत्तर उसने प्र.पी.12 का अपनी हस्तलिपि में दिया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने प्र.पी.12 में बी से बी भाग पर ड्रायवर दिनेश पिता गुलाबसिंह को चालक होने की बात लिखकर दी थी। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उसके टेक्टर से कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। उसने प्र.पी.12 में आरोपी का नाम लिखने की बात पुलिस ने बताई थी। साक्षी ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि उसने अपने टेक्टर का ड्रायवर आरोपी होने की बात नहीं बताई थी।

12. इस प्रकार स्पष्ट रूप से किसी भी अभियोजन साक्षी ने आरोपी द्वारा घटना, दिनांक, स्थान और समय पर उक्त टेक्कर क्रमांक एम.पी.46 ए 2680 को लोकमार्ग पर उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर उसकी टक्कर मृतक प्रमोद पिता कालूराम की मोटरसाइकिल को मारकर प्रमोद की मृत्यु कारित करने के संबंध में कोई भी कथन नहीं किये यहाँ तक कि वाहन मालिक चैनसिंह (असा.8) ने भी उसके टेक्टर आरोपी के घटना के समय चालक होने के संबंध में स्पष्ट रूप से इंकार किया है। ऐसी स्थिति में यह प्रमाणित नहीं है कि आरोपी ने घटना दिनांक स्थान और समय पर उक्त टेक्टर नंबर एम.पी.46 ए 2680 को लोकमार्ग पर उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक से चलाकर उसकी टक्कर प्रमोद की मोटरसाइकिल को मारकर, प्रमोद की मृत्यु ऐसी स्थिति में कारित की जो मानववध की श्रेणी में नहीं आती है।

13. उक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियोजन अपना मामला आरोपी के विरुद्ध संदेह से परे प्रमाणित करने में पूर्णतः असफल रहा है। अतः यह न्यायालय आरोपी दिनेश पिता गुलाबसिंह भीलाला, उम्र 45 वर्ष, निवासी खेडी खुर्द थाना अंजड़, जिला बड़वानी म.प्र. को भा.द.वि. की धारा— 304ए के अपराध से संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित करता है।

14. आरोपी के जमानत—मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

15. आरोपी का द.प्र.सं. की धारा—428 के अंतर्गत निरोध की अवधि का प्रमाण—पत्र बनाया जाए।

16. प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति वाहन ट्रेक्टर क्रमांक एम.पी. 46 ए. 2680 एवं टाली क्रमांक एम.पी. 46 ए 2710 उसके स्वामी को पूर्व से सुपुर्दगी पर दिया गया है, अतः सुपुर्दगीनामा बाद अपील अवधि निरस्त समझा जाए, अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के आदेश का पालन किया जाए।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित किया।

सही /—

(श्रीमती वंदना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अंजड़, जिला बड़वानी म.प्र.

सही /—

(श्रीमती वंदना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अंजड़, जिला बड़वानी म.प्र.